उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या 130/2019/2377/92-2-19-113जांच/2017
लखनऊ:: दिनांक:: 17 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग पीआईयू0-गोण्डा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत पैकेज सं0-यूपी-3080 की निविदा प्रक्रिया में निविदादाता मै0 पी0एस0बी0 कान्स0 की निविदा को अनियमित ढंग से रिस्पांसिव घोषित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-60/2018/1407/92-2-18-113जांच/2017 दि0 14.06.2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-देवीपाटन मण्डल गोण्डा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/ मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-1434 दिनांक 23-02-2019 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद को मौखिक/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 27-02-2019 की तिथि निर्धारित की गयी। उक्त तिथि पर अपचारी अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर पत्र दिनांक 27-02-2019 के माध्यम से लिखित रूप में विस्तृत उत्तर दिया गया। तदोपरान्त जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) के पत्र सं0-89/ग्रा0अ0वि0/ अनु0जांच/ राजेन्द्र प्रसाद/एस0टी0-164/19-20 दि0 17.05.2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) की जांच आख्या दिनांक 17-05-2019 में अपचारी अधिकारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से आरोप सं0-1 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम -9(4) में निहित व्यवस्था के अंतर्गत शासन के पत्रसं0-1083/92-2-18-113जांच/2017 दिनांक 04-06-2019 द्वारा उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 10-07-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद पर आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-1, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत पैकेज सं0-यू0पी0-3080 सम्पर्क मार्ग गोण्डा उतरौला मार्ग से पारासराया

पैकेज सं0-3080 की टेक्निकल बिड में तथ्यों की अनदेखी कर त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करते हुये अनियमित ढंग से मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 को निविदा हेतु रिस्पांसिव घोषित किया गया। उक्त के उपरान्त मै0 राज कान्स0 द्वारा शिकायत की गयी लेकिन श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सत्यता को छिपाते हुये टेण्डर को अपलोडिंग करने की अनुमति प्राप्त की गयी, जिससे शासकीय क्षति की संभावना प्रबल बनी। मेसर्स पी0एम0पी0 कान्स्ट्रक्शन के पक्ष में उक्त अनुबंध गठित किये जाने की जानकारी अर्थात आनगोइंग कार्यो के संबंध में सूचना पूर्व से थी, किन्तु चेक लिस्ट में गलत सूचना दी गयी, जो दुरभि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संधि का परिचायक है, और ठेकेदार को अनियमित ढंग से लाभ देने की कोशिश की गयी, जिसके लिये श्री राजेन्द्र प्रसाद को आरोपित किया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

मै0 पी0एस0पी0 कान्स्ट्रक्शन की निविदा को अनियमित ढंग से रिस्पांसिव करने का उल्लेख इसलिये किया गया, क्योंकि चेक लिस्ट में ऑन गोईग वर्क इंगित करते हुये उसको घटाया नहीं गया। भारत सरकार से **VETTED SBD** में निविदादाता द्वारा दी गयी निविदा प्रपत्रों के अतिरिक्त स्व:विवेक से आन गोइंग वर्क अथवा अन्य कोई भी अनावश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रविष्टियों को इंगित करने का बिड एबुलेशन समिति को कोई स्वतंत्रता/छूट नदीं दी गयी है। एस0बी0डी0 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार **Section-3 Qualification Information** में इंगित निम्न दिशा निर्देश से स्पष्ट है कि ऑन गोइंग वर्क का विवरण निविदादाता द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना है, तथा उसके अनुसार ही चेक लिस्ट तैयार करते हुये उसका अंकन पी0आई0यू0 के अधिशासी अभियंता द्वारा किया जाना है, जिसके आधार पर ठेकेदार के बिड का मूल्यांकन बिड मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाना है।

Notes on Form of qualification Information
The information to be filled in by bidders in for following pages will be used for purposes of post-qualification as provided for in clause 4 of the Instructions to Bidders. This information will not beincorporated in the contract. Attach additional pages as necessary.

एस0बी0डी के **Section-3 Qualification Information** के उत्तर प्रस्तर से स्पष्ट है कि इस सैक्शन में दिये जाने वाली सूचनाओं की प्रविष्टि मात्र निविदादाता द्वारा ही किया जाना है।

1.31	**Work performed as prime contractor (in the same name and style) on construction works of a similar nature and volume over the last five years. Attach certificate from the Engineer-in-charge.**

Project Name	Name of Employer	Descript-ion of work	Value of Contract	Contract no.	Date of issue of work order	Stipulated Date of Comple-tion	Actual Date of Compl-etion	Remarks explaining reason for delay if any

उपरोक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि एस0बी0डी0 के Section-3 instructions to Bidder (ITB) A. General के क्लॉज 4.6 में बिड कैपिसिटी आंगणन में ऑन गोइंग वर्क घटाने का प्राविधान दिया गया है जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :-

4.6 Bidder who meet the minimum qualification criteria will be qualified only if their available bid capacity for construction work is equal to or more than the total bid value excluding maintenance. The available bid capacity will be calculated as under.

Assessed Available Bid Capacity = (A*N*M-B)

Where

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

A= maximaum value of civil engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the rate of 8 percent a year) taking into account the completed as well as works in progress.

N= Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited (period up to 6 months to be taken as ½ and more than 6 months as 1 in a year).

M= 2 or such higher figure not exceeding 3 as may be specified in the Appendix to ITB.

B= Value, at the current price level, of existing commitment and on goving works to be completed during the period of completion of the works for which bids are invited.

Note : The Statement showking the value of existing commitments and on going works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed should be countersigned by the engineer in charge, not below the rank of an Executive Engineer of equivalent.

एस0बी0डी0 में उपरोक्त प्राविधान के अनुसार ऑन गोइंग कार्य का विवरण पर एक अधिशासी अभियंता से नीचले क्रम के अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होना चाहिये। उपरोक्त से स्पष्ट है कि निविदादाता द्वारा आन गोइंग कार्य की सूचना स्वयं देना चाहिए तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाला विवरण अधिशासी अभियंता स्तर से निचले क्रम के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नही होना चाहिए। यदि ठेकेदार के पास ऑन गोइंग वर्क था तो उसको निविदा प्रपत्रों में दर्शाना ठेकेदार का ही दायित्व था। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर बिड का मूल्यांकन करने की कार्यवाही में उनके द्वारा किसी सत्य को नही छुपाया गया, अपितु ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर निर्धारित दायित्व का पालन करते हुये पक्षपात एवं द्वेष भावना रहित प्रतिपादित नियमों के अनुरूप बिड मूल्यांकन की कार्यवाही सम्पन्न की गयी।

मै0 राज कान्स0 की शिकायत के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि उक्त शिकायत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के गाईड (एस0 बी0डी0) के निम्न प्रस्तर के अनुसार पूर्णत अवैधानिक है, क्योंकि मै0 राज कान्स0 न तो पैकेज के बिडर है और नही योजना के गाईड लाईन में निर्धारित समयान्तर्गत शिकायत की गई।

22.6 The result of evaluation of part-I of the bids shall be made public on e-procurement systems following which there will be a period of five working days during which any bidder may submit complaint which shall be considered for resolution befoe opening Part-II of the bid.

व्यवहारिक एवं सैद्धानितक रूप से निविदादाताओं द्वारा तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये गये प्रपत्रों के आधार पर चेक लिस्ट तैयार करने की कार्यवाही पीआईयू के अधिशासी अभियंता एवं खण्डीय लेखाधिकारी के स्तर पर किया जाता है। संबंधित अधिकारियों को निविदादाताओं द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर चेक लिस्ट तैयार करने की बाध्यता रहती है। चेक लिस्ट में निविदादाता द्वारा दी गयी सूचना के अनुरूप ही अंकन किया गया, कोई गलत सूचना अंकित नही की गयी। एस0बी0डी0 के संगत प्रस्तरों के अनुरूप निविदादाता द्वारा निम्न शपथ पत्र के साथ निविदा प्रपत्र ऑन लाईन किया गया था :-

4.4 B(a) Each bidder must produce :

(ii) An affidavit that the information furnished with bid documents is correct in all respects;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त शपथपत्र देते हुये ऑन लाइन सबमिट की गयी निविदा प्रपत्रों से भिन्न स्थिति इंगित करने का बिड मूल्यांकन समिति को कोई अधिकार नही दिया, तथापि आरोप के अनुरूप एस0बी0डी0 के प्राविधानित व्यवस्था के विपरीत कृत्य करते हुये, निविदादाता द्वारा की गयी स्थिति से भिन्न इंगित किए जाने तथा इसकी शिकायत होने की स्थिति में भी एस0बी0डी0 में प्राविधानित व्यवस्था/नियमों के विपरीत कृत्य करने के लिये उन्हें ही दोषी माना जाता।

मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 का टर्न ओवर अंकन रू0 4785.00 लाख थी। एस0बी0डी0 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार बिड कैपेसिटी 9571.64 लाख थी। ठेकेदार ने ऑन गोंइंग वर्क में जिन दो कार्य को नही दिखाया उसकी कुल लागत 750.19 लाख रू0 थी। यदि उक्त धनराशि को ठैकेदार द्वारा ऑन गोइंग वर्क में दिखाते हुये, घटा भी दिया जाता तब भी बिड कैपेसिटी रू0 8821.45 लाख अवशेष रहती, जबकि आमंत्रित पैकेज सं0-यू0पी0-3080 की लागत मात्र रू0 550.29 थी। अत: ठेकेदार को दुरभिसंधि करके अनियमित ढंग से लाभ देने की कोशिश करने का आरोप पूर्णत: निर्मूल, आधारहीन एवं काल्पनिक है।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना</u>

अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में एस0बी0डी0 के संगत प्रसतरों को इंगित करते हुये, उल्लेख किया है कि मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 की निविदा को अनियमित ढंग से रिस्पांसिव करने का उल्लेख इसलिये किया गया, क्योंकि चेक लिस्ट में आन गोइग वर्क इंगित करते हुये उसको घटाया नहीं गया। भारत सरकार से वेटेड एस0बी0डी0 में निविदादाता द्वारा दी गयी निविदा प्रपत्रों के अतिरिक्त स्व:विवेक से आन गोइंग वर्क अथवा अन्य कोई भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रविष्टियों को इंगित करने का बिड एबुलेशन समिति को कोई स्वतंत्रता/छूट नहीं दी गयी है।

एस0बी0डी0 की Section-3 qualification Information तथा Section-3 qualification information के क्लॉज 1.31 का अवलोकन करने पर अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर में इंगित उक्त अंश योजना के कार्य संचालन हेतु परिचालित दिशा निर्देश के अनुरूप होना पाया गया।

अपचारी अधिकारी ने बचाव उत्तर में उल्लेख किया है कि व्यवहारिक एवं सैद्धान्तिक रूप से निविदादाताओं द्वारा तकनीकी बिड के साथ संलग्न किए गए पप्रत्रों के आधार पर चेक लिस्ट तैयार करने की कार्यवाही पीआईयू के अधिशासी अभियंता एवं खण्डीय लेखाधिकारी के स्तर पर किया जाता है। संबंधित अधिकारियों को निविदादाताओं द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर चेक लिस्ट तैयार करने की बाध्यता रहती है। अपचारी अधिकारी का उक्त कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि योजना की दिशा निर्देशों (एस0बी0डी0) में इस प्रकार की बाध्यता का कोई उल्लेख नही है अर्थात वास्तविकता का उल्लेख चेक लिस्ट में करते हुये बिड मूल्यांकन करने के संबंध में एस0बी0डी0 की शर्तो में कोई प्रतिबंध नही है।

अपचारी अधिकारी ने बचाव उत्तर में एस0बी0डी0 के Section-3 Instructions to Bidder (ITB) A. General के क्लॉज 4.6 को इंगित करते हुये उल्लेख किया है, कि "निविदादाता को आन गोइंग कार्य की सूचना स्वयं देना चाहिए तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाला विवरण अधिशासी अभियंता स्तर से निचले क्रम के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नही होना चाहिए था। यदि ठेकेदार के पास ऑन गोइंग वर्क था तो उसको निविदा प्रपत्रों में दर्शाना ठेकेदार का ही दायित्व था। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर बिड का मूल्यांकन करने की कार्यवाही में उनके द्वारा किसी सत्य को नही छुपाया गया, अपितु ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर निर्धारित दायित्व का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पालन करते हुये पक्षपात एवं द्वेष भावना रहित प्रतिपादित नियमों के अनुरूप बिड मूल्यांकन की कार्यवाही सम्पन्न की गयी।"

एस0बी0डी0 के Section-3 Instructions to Bidder (ITB) A. General के क्लॉज 4.6 का अवलोकन करने पर अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर में इंगित उक्त अंश योजना के कार्य संचालन हेतु परिचालित दिशा निर्देश के अनुरूप होना पाया गया, अग्रेत्तर परीक्षण करने पर यह भी पाया गया कि निविदादाता द्वारा ऑन गोइंग कार्य को छिपाने तथा भ्रामक, तथ्यों को छिपाते हुये गलत शपथ पत्र दिये जाने के उपरान्त भी अपचारी अधिकारी द्वारा ठेकेदार के विरूद्व कोई कार्यवाही नही की गई।

अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया है कि निविदादाताओं द्वारा एस0बी0डी0 के प्रस्तर 4.4 B (a) An affidavit that the information furnished with bid doucuments is correct in all respects; शपथ पत्र देते हुये ऑन लाईन सबमिट की गयी निविदा प्रपत्रों से भिन्न स्थिति इंगित करने का बिड मूल्यांकन समिति को कोई अधिकार नहीं दिया गया। उक्त के परिदृश्य में संगत प्रस्तर का अवलोकन करने पर पाया गया कि निविदादाता द्वारा डाली गयी निविदा में निविदा प्रपत्र सत्य होने की शपथ पत्र दिये जाने के कारण निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा इसी आधार पर निविदा का मूल्यांकन किया गया है। अपचारी अधिकारी द्वारा ऑन गोइंग कार्य की अपने ही परिमंडलान्तर्गत अनुबंध किए जाने के परिदृश्य में अपचारी अधिकारी को निविदा मूल्यांकन की समय इसको संज्ञान में लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया।

अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया है कि मै0 पी0एस0पी0 कान्स्ट्रक्शनका टर्न ओवर अंकन रू0 4,785.00 लाख थी। एस0बी0डी0 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसारबिड कैपेसिटी 9,571.00 लाख थी। ठेकेदार ने ऑन गोइंग वर्क में जिन दो कार्य को नही दिखाया गया उसकी कुल लागत 750.19 लाख रू0 थी। यदि उक्त धनराशि को ठेकेदार द्वारा ऑन गोइंग वर्क में दिखाते हुये, घटा भी दिया जाता जब भी बिड कैपेसिटी रू0 8,821.45 लाख अवशेष रहती, जबकि आमंत्रित पैकेज संख्या-यू0पी0-3080 की लागत मात्र रू0 552.29 थी। अत: ठेकेदार को दुरभिसंधि करके अनियमित ढंग से लाभ देने की कोशिश करने का आरोप पूर्णत निर्मूल, आधारहीन एवं काल्पनिक है।

अपचारी अधिकारी का उपरोक्त कथन यद्यपि इस सीमा तक स्वीकार योग्य है कि ठेकेदार की बिड कैपेसिटी निविदा की आवश्यकता से काफी अधिक थी तथा ठेकेदार के खण्ड के अंतर्गत 750.19 लाख के ऑन गोइंग कार्य को संज्ञान में लेने के बाद भी उक्त बिन्दु पर निविदा नॉन रिस्पान्सिव नहीं होती। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर दुरभि संधि का आरोप की पुष्टि नहीं होती है, परन्तु योजना के कार्य संचालन हेतु जारी इसी एस0बी0डी0 के आई0टी0बी0 क्लॉज 4.7 (**i**) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप ठेकेदार द्वारा भ्रामक, गलत तथ्य/सूचना, एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने की जानकारी होने पर नॉन रिस्पॉसिव श्रेणी में वगीकृत किये जाने की व्यवस्था भी दी गयी है। अत: अपचारी अधिकारी एवं निविदा मूल्यांकन समिति को निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में भ्रामक, गलत तथ्य/सूचना, एवं शपथपत्र प्रस्तुत करने के कारण, चेक लिस्ट तैयार करते समय इसका उल्लेख करते हुए, निविदा को एस0बी0डी0 के आई0टी0बी0 क्लॉज 4.7 (**i**) के अंतर्गत नॉन रिस्पॉसिव श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिये था।

अत: विवेचना में इंगित स्थिति के अनुसार दुरधि संधि करके ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की स्थिति नही पायी गयी, परन्तु जिन कार्यो का अनुबंध अपचारी अधिकारी द्वारा ही बनाये हुए ठेकेदार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा ऑन गोइंग कार्य की सूचना में नही दी गयी, अपचारी अधिकारी को एस0बी0डी0 के आई0टी0बी क्लॉज 4.7 (**i**) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप स्वत: संज्ञान लेकर बिड मूल्यांकन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो अपचारी अधिकारी द्वारा नही की गई।

<u>जांच अधिकारी का निष्कर्ष</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा दिए गए बचाव उत्तर, उसके सापेक्ष संलग्न किए गए अभिलेखों तथा विवेचना में इंगित स्थिति के अनुरूप अपचारी अधिकारी पर आरोप आंशिक रूप से स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

जांच अधिकारी की जांच आख्या के पृष्ठ-5 के अंतिम पैरा में यह कथन कि "अग्रेत्तर परीक्षण करने पर यह भी पाया गया कि निविदादाता द्वारा ऑनगोइंग कार्य को छिपाने तथा भ्रामक, तथ्यों को छिपाते हुये गलत शपथ पत्र दिया जाना संज्ञान में आने के उपरांत भी अपचारी अधिकारी द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। असत्य एवं निराधार है। "

जांच अधिकारी की जांच आख्या के साथ संलग्नक क्रम सं0-9 पर उपलब्ध अभिलेख को संज्ञान में नहीं लिया गया है जिसमें परिमण्डल कार्यालय देवीपाटन गोण्डा के पत्र दिनांक 15.2.2018 द्वारा संबंधित ठेकेदारमै0 पी0एस0पी0 कान्स0, जानकीनगर, बहराइच रोड, जनपद गोण्डा के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति उनके द्वारा की गयी है, जिसके क्रम में मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही हुई थी।

आंशिक रूप से स्थापित आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जांच अधिकारी की जॉच आख्या के पृष्ठ सं0-6 के पैरा-3 में यह कथन कि "अपचारी अधिकारी का उपरोक्त कथन यद्यपि इस सीमा तक स्वीकार योग्य है कि ठेकेदार की बिड कैपेसिटी निविदा की आश्यकता से काफी अधिक थी तथा ठेकेदार के खण्ड के अंतर्गत 750.19 लाख के ऑनगोइंग कार्य को संज्ञान में लेने के बाद भी उक्त बिन्दु पर निविदा नॉन रिस्पॉसिव नहीं होती है। इस प्रकार आरोप विवेचना के आधार पर दुरधि संधि के आरोप की पुष्टि होती है।' साथ ही जांच आख्या के पृष्ठ सं0-6 के अंतिम पैरा में जांच अधिकारी द्वारा कहा गया है कि "अत: विवेचना में इंगित स्थिति के अनुसार दुरधि संधि करके ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की स्थिति नही पायी गयी है'।

जांच अधिकारी द्वारा कहे गये उपरोक्त तथ्यों से स्वत: स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी पर आरोप सं0-1 स्थापित नही होता है।

निविदादाता द्वारा यदि टेण्डरिंग प्रकिया में बिड के साथ कोई भी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त अभिलेखों की पुष्टि हेतु प्रकरण का स्वत: संज्ञान में लिया जाना तथा उसके आधार पर उक्त की जांच प्रखण्डो/ परिमण्डल के अभिलेखों से कराना उचित प्रतीत नही होता है। यदि मान लिया जाय किसी निविदादाता द्वारा अपनी बिड में पंजीकरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र त्रुटिवश नहीं लगाया गया है, तो क्या उक्त अभिलेखों को स्वत: संज्ञान में लेते हुये अपने प्रखण्डो/परिमण्डल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से की जा सकती है ऐसा किया जाना उचित नही होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा पीएमजीएसवाई योजनान्तर्गत पैकेज सं0-यूपी-3080 सम्पर्क मार्ग गोण्डा उतरौला मार्ग से पारा सराय की निविदा प्रक्रिया में एसबीडी के आई0टी0बी0 क्लांज 4.7 (1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप बिड मूल्यांकन की कार्यवाही न कर निविदा को अनियमित ढंग से रिस्पांसिव घोषित किये जाने हेतु उत्तरदायी है। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-देवीपाटन गोण्डा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.11.2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

"जनपद गोण्डा में पीएमजीएसवाई योजनान्तर्गत पैकेज सं0-यूपी-3080 सम्पर्क मार्ग गोण्डा उतरौला मार्ग से पारा सराय की निविदा प्रक्रिया में एसबीडी के आई0टी0बी0 क्लांज 4.7 (1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप बिड मूल्यांकन की कार्यवाही न कर मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 को अनियमित ढंग से रिस्पांसिव घोषित किये जाने की अनियमितता हेतु श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-देवीपाटन मण्डल गोण्डा सम्प्रति सम्बद्ध मुख्यालय को **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-130/2019/237 /(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-देवीपाटन मण्डल गोण्डा सम्प्रति सम्बद्ध मुख्यालय द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।